भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1883
(12 मार्च, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए)

सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाई.) की स्थिति

1883. श्री संजय सिंहः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 2018 के अनुसार सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के तहत लोक सभा के केवल 97 और राज्य सभा के 27 संसद सदस्यों ने गांवों को गोद लिया है;
(ख) यदि हां, तो क्या यह कहा जा सकता है कि गांवों को गोद लिया जाना हमेशा कम रहा है;
(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान एसएजीवाई के क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) उपर्युक्त मुद्दे को निपटाने हेतु सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है और संसद सदस्यों की इतनी नरम प्रतिक्रिया के क्या कारण है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री राम कृपाल यादव)

(क) और (ख): माननीय संसद सदस्यों ने सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के अंतर्गत 7 मार्च, 2018 तक 1300 ग्राम पंचायतों का निर्धारण किया है। ग्राम पंचायतों के निर्धारण की प्रगति संबंधी रिपोर्टें एसएजीवाई पोर्टल (http://saanjhi.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

(ग): अब तक 940 ग्राम पंचायतों ने एसएजीवाई वेबसाइट (http://saanjhi.gov.in) पर अपनी-अपनी ग्राम विकास योजनाएं (वीडीपी) जिनमें 49,864 परियोजनाएं हैं, अपलोड कर दी हैं। 7.3.2018 की स्थिति के अनुसार इनमें से 20789 परियोजनाओं (42 प्रतिशत) का

क्रियान्वयन पूरा हो चुका है। 690 ग्राम पंचायतों द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना पोर्टल पर अपलोड किए गए पंचायत दर्पण आंकड़े के अनुसार कई एसएजीवाई ग्राम पंचायतों में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं: एसएजीवाई के अंतर्गत 427 ग्राम पंचायतों में शत-प्रतिशत बच्चों (0-6 वर्ष की आयु के) को टीका लगाने का कार्य पूरा हो चुका है, 252 ग्राम पंचायतों में शत-प्रतिशत इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की जानकारी मिली है, 526 ग्राम पंचायतों के शत-प्रतिशत विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की योजना चल रही है। इसी प्रकार, 171 ग्राम पंचायतों ने बताया है कि उनके सभी परिवारों के पास बिजली के कनेक्शन हैं और एसएजीवाई गांवों की 91 ग्राम पंचायतों के सभी परिवारों में सुरक्षित आवासीय सुविधा है। इसी प्रकार, 160 ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत कार्यालयों में अब ई-पंचायत सेवा उपलब्ध है। कई ग्राम पंचायतों ने जन-धन योजना (174 ग्राम पंचायत), अटल पेंशन योजना (58 ग्राम पंचायत), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (85 ग्राम पंचायत), राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (70 ग्राम पंचायत), विधवा पेंशन (332 ग्राम पंचायत), वृद्धावस्था पेंशन (323 ग्राम पंचायत) जैसे सरकारी कार्यक्रमों में प्रत्येक पात्र व्यक्ति का नामांकन करते हुए अपनी-अपनी संबंधित ग्राम पंचायतों में सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के क्षेत्र में ठोस प्रयास किए हैं।

(घ): मंत्रालय ने योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित कार्यकलाप शुरू किए हैं:

- संसद सदस्यों, जिला और ग्राम-स्तरीय अधिकारियों के लाभ के लिए एसएजीवाई के अंतर्गत तालमेल हेतु 223 केंद्रीय क्षेत्र/केंद्रीय प्रायोजित और 1806 राज्य योजनाओं का संकलन तैयार किया गया है।

- व्यापक क्षमता निर्माण योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत के 8 क्षेत्रीय केंद्रों में भागीदारीपरक आयोजना और एसएजीवाई के संबंधित क्षेत्रों के माध्यम से ग्राम विकास योजना बनाने के विषय में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया था। इसके माध्यम से एसएजीवाई ग्राम पंचायतों के लिए समर्पित अधिकारियों के रूप में पदनामित किए गए 653 प्रभार अधिकारियों को मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था।

- ग्राम पंचायतों में एसएजीवाई के प्रभाव का आकलन करने के लिए बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, आजीविका, महिला सशक्तीकरण, वित्तीय समावेशन, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और ई-गवर्नेंस को शामिल करते हुए 35 सूत्री परिणामी संकेतक तैयार किए गए।

- एक संकेतात्मक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में 'सहयोग' नामक दस्तावेज प्रकाशित किया गया जिसमें एसएजीवाई ग्राम पंचायतों में सामाजिक/वित्तीय सुरक्षा योजनाओं में शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामवासियों और ग्राम स्तरीय कर्मियों की जानकारी को बढ़ाने के लिए संबंधित मंत्रालयों से मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में एकत्र की गई अनिवार्य जानकारी दी गई थी।

- सभी एसएजीवाई ग्राम पंचायतों में 4 मूलभूत सुविधाओं अर्थात बिजली, पेयजल, सड़क और शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय किया गया।

- मंत्रालय ने निजी, स्वैच्छिक और सहकारी (पीवीसी) क्षेत्रों से सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को सुझावात्मक टैम्प्लेट परिचालित किए हैं। राज्यों/सं.रा.क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों को व्यापक परिचालन के लिए एसएजीवाई वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा, मंत्रालय ने उद्योगों के प्रतिनिधियों तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से संबद्ध प्रोफेशनल एसोसिएशनों के साथ मुलाकात की है और उन्हें गांवों के विकास हेतु निजी/कॉरपोरेट निवेशों का सरकारी कार्यकलापों के साथ तालमेल बिठाने के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना, मिशन अंत्योदय और अन्य योजनाओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अवसरों की जानकारी दी है।

- माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने एसएजीवाई के प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देने का आग्रह करते हुए मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है।